LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Monday, August 04, 2025 / Sravana 13, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, August 04, 2025 / Sravana 13, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

ORAL ANSWER TO STARRED QUESTION **1 – 30**
(S.Q. NO. 201)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **31 – 50**
(S.Q. NO. 202 – 220)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS **51 – 280**
(U.S.Q. NO. 2301 – 2530)

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, August 4, 2025 / Sravana 13, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, August 4, 2025 / Sravana 13, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 309

STANDING COMMITTEE ON ENERGY 309 - 10
6th to 9th Reports

STANDING COMMITTEE ON FINANCE 310 - 11
19th to 24th Reports

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL 311
8th Report

STATEMENT RE: WITHDRAWAL FROM CONTINGENCY FUND OF INDIA – LAID 311
Shri Tokhan Sahu

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 312 - 26

Shri Manish Jaiswal 312

Dr. Bhola Singh 312

Shrimati Daggubati Purandeswari 313

Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar 313

Shri Gyaneshwar Patil 314

Shri Dharambir Singh 314

Shri Mukeshkumar Chandrakaant Dalal 315

Shri Gajendra Singh Patel 315

Shri Raju Bista 316

Shri Jagadambika Pal 316

Shri Khagen Murmu **317**

Shri Dilip Saikia **317**

Shri P. P. Chaudhary **318**

Shri V. K. Sreekandan **318**

Shri Murari Lal Meena **319**

Shri Kodikunnil Suresh **319**

Shri Bhajan Lal Jatav **320**

Kumari Sudha R. **320**

Shrimati Krishna Devi Shivshankar Patel **321**

Shri Mohibbullah **321**

Shri Kirti Azad **322**

Shri Kalipada Saren Kherwal **322**

Shri G. Selvam **323**

Shri G. M. Harish Balayogi **323 - 24**

Shri Dinesh Chandra Yadav **324**

Shri Sanjay Haribhau Jadhav **324**

Shri Balya Mama Suresh Gopinath Mhatre **325**

Dr. Rajkumar Sangwan **325**

Shri Sunil Dattatrey Tatkare **326**

STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL FOR AMENDING SECOND SCHEDULE OF CUSTOMS TARIFF ACT **326 - 27**

Shri Pankaj Chaudhary

… **328 - 29**

(1100/IND/NKL)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

क्वेश्चन नंबर-201, श्रीमती रुचि वीरा।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 201)

श्रीमती रुचि वीरा (मुरादाबाद) : अध्यक्ष जी, जिन सरकारी कम्पनियों ने युवाओं को रोजगार दिया है, उनमें से कितने युवाओं को स्थायी नौकरी मिली है और कितनों को अनुबंध पर रखा गया है?… (व्यवधान) क्या सरकार स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना बना रही है? … (व्यवधान)

डॉ. मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने युवाओं के रोजगार के निर्माण के बारे में प्रश्न किया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले दस सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश में रोजगार का निर्माण हुआ और युवाओं को एम्प्लायमेंट मिला।… (व्यवधान) पिछले 16 महीनों में ही भारत सरकार की ओर से 11 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है।… (व्यवधान)

1102 बजे

(इस समय श्री अभय कुमार सिन्हा, डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, श्री इमरान मसूद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं इससे आगे बताना चाहूंगा कि यूपीए सरकार के 10 सालों का हिसाब-किताब करें, तो 10 सालों में केवल तीन करोड़ रोजगार का निर्माण हुआ था।… (व्यवधान) महोदय, हम नहीं कह रहे हैं बल्कि रिजर्व बैंक ने एम्प्लायमेंट डेटा डिक्लेयर किया है।… (व्यवधान) रिजर्व बैंक आज से नहीं है, आजादी के समय से है और प्रति वर्ष एम्प्लायमेंट के बारे में डेटा रिलीज करता है।… (व्यवधान) मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले दस सालों में रिजर्व के एस्टीमेट के अनुसार 17 करोड़ से अधिक युवाओं को जॉब प्राप्त हुई है, रोजगार मिला और यह हमारी सरकार की युवा लक्ष्य नीति का परिणाम है।… (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा यह भी सूचित करना चाहता हूं कि मोदी जी ने रोजगार निर्माण किया और आने वाले पांच सालों के लिए भी रोजगार की कार्य योजना बनाई है।… (व्यवधान) जब मोदी-3 गवर्नमेंट बनी, तब पहले ही बजट में आने वाले पांच सालों के लिए चार करोड़ से अधिक जॉब निर्माण करने के लिए दो लाख करोड़ रुपये की प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी एनाउंस की गई।… (व्यवधान) इस योजना का आज बहुत अच्छा नतीजा भी मिल रहा है और आने वाले दिनों में देश में चार करोड़ नए रोजगार निर्माण में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।… (व्यवधान)

श्रीमती रुचि वीरा (मुरादाबाद) : अध्यक्ष जी, जिन सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों ने युवाओं को रोजगार दिया है, उनमें अनुबंध आधारित नियुक्तियों की संख्या कितनी है और स्थायी नियुक्तियों

की संख्या कितनी है? … (व्यवधान) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि युवाओं को स्थायी और सुरक्षित रोजगार मिले? … (व्यवधान)

डॉ. मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष जी, युवाओं को स्थायी रोजगार उपलब्ध हो और युवाओं को सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब ऑपोरच्युनिटी उपलब्ध हो, इसके लिए मोदी सरकार ने प्रयास किया है। जब किसी भी देश में मैनुफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है, तो रोजगार का निर्माण होता है।… (व्यवधान) एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता है तो रोजगार का निर्माण होता है। अलग-अलग सेक्टर्स में जब देश में प्रोडक्शन बढ़ता है तो रोजगार का निर्माण होता है।… (व्यवधान)

(1105/KDS/VR)

यदि मैं मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं, तो यूपीए के एक दशक वर्ष 2004 से वर्ष 2014 में केवल 6 परसेंट मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में रोज़गार निर्माण हो रहा था। पिछले एक दशक में मोदी सरकार के कार्यकाल में मैनुक्चरिंग सेक्टर में 15 परसेंट रोज़गार निर्माण हुआ है। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सर्विस सेक्टर के बारे में माननीय सदस्य ने बात कही है। … (व्यवधान) सर्विस सेक्टर में युवा ज्यादा काम करते हैं। पिछले एक दशक की तुलना यदि मैं यूपीए के एक दशक से तुलना करूं, तो यूपीए के एक दशक में 25 परसेंट सर्विस सेक्टर में जॉब निर्माण होता था। … (व्यवधान) आज मोदी सरकार के कार्यकाल में सर्विस सेक्टर में 36 परसेंट रोज़गार निर्माण के साथ देश आगे बढ़ रहा है। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आज देश में बेरोज़गारी दर 3.2 परसेंट है, जो या तो विकसित देशों के बराबर है, या विकसित देशों से थोड़ा कम है। … (व्यवधान) यह स्थिति आज मोदी सरकार द्वारा यूथ और देश के नागरिकों की जॉब के लिए सुनिश्चित की है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया है। मैं फिर से आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं। प्रश्न-काल महत्वपूर्ण समय होता है। यह माननीय सदस्यों का समय होता है। प्रश्न-काल में कई मंत्रालयों, विभागों से संबंधित जो प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा पूछे जाते हैं, सरकार उनका जवाब देती है।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जनता ने आपको यहां प्रश्न करने के लिए भेजा है। जनता ने अपने मुद्दे, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको सदन में भेजा है। मैं रोज प्रयास करता हूं कि सदन चले। यह देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है। इसकी मर्यादा और परम्परा रही है। इस सदन के अंदर हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छी चर्चा-संवाद के साथ संसद की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं रोज प्रयास करता हूं कि आप भी संसद की गरिमा बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी से सदन नहीं चलेगा। नियोजित तरीके से सदन की कार्यवाही को बाधित करना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और परम्पराओं के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी मुद्दा या

(pp.4-30)

सवाल हो, आप प्रश्न-काल के बाद हमसे मिलें। हम नियम-प्रक्रियों के अंदर आपको हर मुद्दे, हर विषय पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका देंगे। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है, जिसमें आप सभी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। यदि आप सदन बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते हैं, तो यह अच्छी परम्परा नहीं है।

… (व्यवधान)

(1110/CS/PBT)

माननीय अध्यक्ष : देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियाँ लहराते हैं और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं। यह उचित नहीं है। यह संसद की व्यवस्था के लिए भी उचित नहीं है। विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है। जनता आपसे कुछ अपेक्षाएँ रखती है। आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है। आप भी अपनी सीट पर जाएं और प्रश्न पूछें। मैं आपको मौका दूँगा। आपका यह आचरण उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका आचरण संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न काल को नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ कि मैं आपको मौका दूँगा। प्रश्न काल के बाद शून्य काल में हर मुद्दे को उठाने की परमीशन दी जाएगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे यह लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1110 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/SNT/MNS)

1400 hours

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

HON. CHAIRPERSON: At least, you should allow me to say something. Kindly allow me. Today is a very important day.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kalyan Banerjee ji, kindly listen to me. Today is a very important day. The Government has brought out a Bill. The Government of India is going to bid for organizing Olympics in 2036.

… (*Interruptions*)

1401 बजे

(इस समय श्री कल्याण बनर्जी, श्री सुदामा प्रसाद, डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद, श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण पटल के निकट आकर खड़े हो गए)

… (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1401 बजे

माननीय सभापति (जगदम्बिका पाल) : माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1402 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी – उपस्थित नहीं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) समग्र शिक्षा सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) समग्र शिक्षा मेघालय, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा मेघालय, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) समग्र शिक्षा तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (<u>व्यवधान</u>)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (सर्राफा बाजार) विनियम, 2025, जो दिनांक 13 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईएफएससीए/जीएन/2025/001 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/एनआईसीसीएल/नवीकरण/2025-26, जो दिनांक 2 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जो, उसमें उल्लिखित, क्लियरिंग कॉरपोरेशन की मान्यता का 29 मई, 2025 से शुरू होकर 28 मई 2028 तक तीन वर्षों के लिए नवीकरण किए जाने के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/2024/012 जो दिनांक 13 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसमें दिनांक 18 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/ जीएन/2024/012 का शुद्धिपत्र शामिल है।

(चार) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/एनएसई-आईएफएससी/नवीकरण/2025-26 जो दिनांक 2 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जो, उसमें उल्लिखित, क्लियरिंग कॉरपोरेशन की मान्यता का 29 मई, 2025 से शुरू होकर 28 मई, 2028 तक तीन वर्षों के लिए नवीकरण किए जाने के बारे में है।

(पाँच) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 13 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.आईएफएससीए/जीएन/2025/002 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (केवाईसी पंजीकरण एजेंसी) विनियम, 2025, जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में एफ.सं.आईएफएससीए/जीएन/2025/004 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2025, जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.आईएफएससीए/जीएन/2025/003 में प्रकाशित हुए थे।

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो

दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.: एएक्स1/एसटी/ओएसआर/01/2025-26 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सीओ:एचसीएम:आईआरपी:2025-26:51 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) इंडियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरएमडी/एसयूपी/177/01/25-26 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पंजाब एवं सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/एचआरडी/ ओएसआर/2025-26/1 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/ईएसटी/2025-26/25 में प्रकाशित हुए थे।

(3) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (न्यू मंगलौर पत्तन प्राधिकरण की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.249(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (भगवान श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 250(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण (सिक्किम राज्य को राज्य का दर्जा दिए जाने के 50 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 13 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 309(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिक्का निर्माण (पंथ रतन स्वर्गीय श्री गुरचरण सिंह तोहरा की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 15 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

सा.का.नि. 313(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) सिक्का निर्माण (श्री रामानाश्रमम शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 15 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 314(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सिक्का निर्माण (अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 23 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 336(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सिक्का निर्माण (आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.428(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सिक्का निर्माण (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.429(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सिक्का निर्माण (डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 8 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.457(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सिक्का निर्माण (प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 11 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.463(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सिक्का निर्माण (मेक इन इंडिया की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 11 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.462(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सिक्का निर्माण (राजभाषा विभाग के स्वर्णजयंती समारोह के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.412(अ) में

प्रकाशित हुए थे।

(4) ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण तथा ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.403(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दबावग्रस्त आस्तियां स्थिरीकरण निधि, मुंबई पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.470(अ) जो दिनांक 15 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर निर्यातक का नाम "शांडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड" से संशोधित कर "शांडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड" करने के लिए चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32" पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.471(अ) जो दिनांक 15 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 76/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा जो व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर निर्यातक का नाम "शांडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड" से संशोधित कर "शांडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड" करने के लिए चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) मिश्रणों, जिसमें 407 और 410 के अलावा सभी मिश्रणों को बाहर रखा गया है, पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने के बारे में है" तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.479(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम समीक्षा निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां

से निर्यातित "एयरलाइन" पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क जारी रखना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 477(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 146/94-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 481(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 146/94-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 209(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) निर्यात प्रविष्टि (लिखत आधारित योजना के संबंध में निर्यातोपरांत रूपांतरण) विनियम 2025, जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1608(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) आयातित माल (ट्रांसशिपमेंट की शर्तें) विनियम, 2025, जो दिनांक 24 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1858(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (तीसरा संशोधन), विनियम, 2025, जो दिनांक 31 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 362(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ.1210(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ.1517(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) डाक आयात विनियम, 2025, जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1516(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा दिनांक 3 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1607(अ) में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ.1668(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ.1726(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ.1841(अ) जो दिनांक 23 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ.1947(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ.2198(अ) जो दिनांक 15 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का.आ.2438(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ.2557(अ) जो दिनांक 11 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ.2632(अ) जो दिनांक 13 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ.2901(अ) जो दिनांक 30 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रैप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 24 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 23(आर)/(6)/2025-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 11 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2549(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 19 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 10(आर)/(4)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे, तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो दिनांक 28 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 10(आर)/(6)/2024-आरबी में प्रकाशित हुआ था।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (छठा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 10(आर)/(4)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(9) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित

अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि.129(अ) जो दिनांक 11 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिसूचना के स्तंभ 3 में उल्लिखित तारीख को उक्त अधिसूचना के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.174(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 25 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 193(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 195(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 207(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 217(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 221(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 252(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 271(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 279(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 2 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 286(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 3 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 287(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 6 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 290(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 7 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 294(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 9 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 303(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) आयकर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 322(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) का.आ.2954(अ) जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1790(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ.3268(अ) जो दिनांक 17 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 की

अधिसूचना संख्या का.आ. 5323(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(11) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, गांधी नगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2017 जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/05/1/0025/2017-एचआर में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का परिचालन) विनियम, 2025 जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/01/0001/2023-विधिक में प्रकाशित हुए थे।

(14) डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन, मुंबई के 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(15) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.03.2025 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के बारे में 01.01.2025 से 31.03.2025 तक की अवधि का परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2023 की धारा 7 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (3)(ख) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की अर्धवार्षिक समीक्षा के विवरण तथा उक्त अधिनियम के अधीन सरकार के दायित्वों को पूर्ण करने में विचलन को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (<u>व्यवधान</u>)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे) : महोदय, मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6घ के अंतर्गत कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा (संशोधन) योजना, 2025 जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 476(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 6, श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी – उपस्थित नहीं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, मैं श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) का.आ.1721(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र श्री लंकामल्लेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.1567(अ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पारिस्थितिकीय

दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र कम्बलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.17(अ) जो दिनांक 2 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ.5348(अ) जो दिनांक 11 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रोलापडू वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पाँच) का.आ.1457(अ) जो दिनांक 26 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ.5510(अ) जो दिनांक 20 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ.5383(अ) जो दिनांक 13 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ.2124(अ) जो दिनांक 13 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, कुशेश्वर स्थान वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ.1334(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ.1111(अ) जो दिनांक 10 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से शून्य से 8.3 किलोमीटर तक के क्षेत्र

को भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ.1797(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.69(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ.1375(अ) जो दिनांक 25 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.185(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ.1570(अ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ.2413(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चौदह) का.आ.1575(अ) जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.2996(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ.1506(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ.421(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ.1507(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 मई, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.1653(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का.आ.1611(अ) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का.आ.1559(अ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1865(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ.2136(अ) जो दिनांक 14 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में हॉलिडे द्वीप वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ.2125(अ) जो दिनांक 13 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या का.आ. 102(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ.191(अ) जो दिनांक 10 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.3100(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ.1612(अ) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 20 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1942(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का.आ.1174(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1485(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ.1640(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2149(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का.आ.148(अ) जो दिनांक 8 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3308(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का.आ.704(अ) जो दिनांक 11 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 नवंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3516(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का.आ.5534(अ) जो दिनांक 23 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 436(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठाईस) का.आ.1795(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2404(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का.आ.2356(अ) जो दिनांक 27 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में त्राल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0 किलोमीटर से 3.26 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(तीस) का.आ.1722(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1176(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतीस) का.आ. 1990(अ) जो दिनांक 2 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1701(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बत्तीस) का.आ.1173(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1815(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतीस) का.आ.1377(अ) जो दिनांक 25 मार्च, 2025 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1857(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंतीस) का.आ.556(अ) जो दिनांक 31 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2028(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का.आ.491(अ) जो दिनांक 27 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2029(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का.आ. 5494(अ) जो दिनांक 19 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2148(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतीस) का.आ. 1122(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2147(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तीस) का.आ. 855(अ) जो दिनांक 17 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2733(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतालीस) का.आ. 1942(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2993(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चालीस) का.आ.115(अ) जो दिनांक 7 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3084(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतालीस) का.आ.5226(अ) जो दिनांक 4 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर एक पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(बयालीस) का.आ.2485(अ) जो दिनांक 4 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर से 4.30 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें भूकर सर्वेक्षण संख्या को न्यूनतम इकाई के रूप में रखा गया है।

(तैंतालीस) का.आ.597(अ) जो दिनांक 3 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4031(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चवालीस) का.आ.288(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4027(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतालीस) का.आ.5468(अ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2811(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियालीस) का.आ.1674(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2669(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतालीस) का.आ.1235(अ) जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2605(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तालीस) का.आ.1515(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3028(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनचास) का.आ.5471(अ) जो दिनांक 18 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 230(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचास) का.आ.1357(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 837(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यावन) का.आ. 1594(अ) जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1603(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बावन) का.आ.1593(अ) जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 15 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1565(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरपन) का.आ.324(अ) जो दिनांक 17 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1752(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौवन) का.आ.1335(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1221(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचपन) का.आ.5441(अ) जो दिनांक 16 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 सितंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3249(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छप्पन) का.आ.5293(अ) जो दिनांक 9 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 654(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतावन) का.आ.5397(अ) जो दिनांक 13 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 सितंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3030(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठावन) का.आ.1595(अ) जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3310(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनसठ) का.आ. 1932(अ) जो दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 जून, 2017 की

अधिसूचना संख्या का.आ. 1816(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(साठ) का.आ.1794(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2942(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकसठ) का.आ.5323(अ) जो दिनांक 10 दिसंबर, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.10 किलोमीटर से 8.7 किलोमीटर तक के क्षेत्र को भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(बासठ) का.आ. 150(अ) जो दिनांक 9 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2480(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरसठ) का.आ. 1337(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2277(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंसठ) का.आ. 1092(अ) जो दिनांक 5 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3597(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंसठ) का.आ. 1816(अ) जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 350(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियासठ) का.आ. 1476(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 839(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सड़सठ) का.आ. 5377(अ) जो दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 15 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1568(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़सठ) का.आ. 1238(अ) जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1173(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनहत्तर) का.आ. 1913(अ) जो दिनांक 28 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4047(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्तर) का.आ.875(अ) जो दिनांक 19 फरवरी, 2025 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर से 17 किलोमीटर तक के क्षेत्र को शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(इकहत्तर) का.आ. 239(अ) जो दिनांक 13 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2166(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बहत्तर) का.आ. 4530(अ) जो दिनांक 15 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2167(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिहत्तर) का.आ. 316(अ) जो दिनांक 17 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2168(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौहत्तर) का.आ. 621(अ) जो दिनांक 6 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2169(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचहत्तर) का.आ. 4246(अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2170(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छिहत्तर) का.आ. 445(अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 445(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतहत्तर) का.आ. 4245(अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2172(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अटहत्तर) का.आ. 1333(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2171(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनासी) का.आ. 1380(अ) जो दिनांक 25 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2172(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अस्सी) का.आ. 100(अ) जो दिनांक 6 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2173(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यासी) का.आ. 443 (अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3596(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बयासी) का.आ. 4702(अ) जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 05 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1432(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरासी) का.आ. 2681 (अ) जो दिनांक 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1698 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौरासी) का.आ. 4548(अ) जो दिनांक 16 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1699(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचासी) का.आ. 290(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3859(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियासी) का.आ. 2028(अ) जो दिनांक 6 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1566(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतासी) का.आ. 2354(अ) जो दिनांक 18 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2262(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठासी) का.आ. 2143(अ) जो दिनांक 29 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 891(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नवासी) का.आ.5132(अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1.0 किलोमीटर से 17.0 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(नब्बे) का.आ. 3013(अ) जो दिनांक 4 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 20(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यानवे) का.आ. 1336(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 840(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बानवे) का.आ. 2126(अ) जो दिनांक 13 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2125(अ) द्वारा भारत सरकार के आदेश को रद्द किया गया है।

(तिरानवे) का.आ. 1377(अ) जो दिनांक 25 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1857(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) से (नब्बे) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पर्यावरण संरक्षण (जीवनकाल समाप्त हो चुके वाहन) नियम, 2025, जो दिनांक 6 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.98(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 24 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.958(अ) में प्रकाशित हुए।

(तीन) का.आ.5210(अ), जो दिनांक 3 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) पर्यावरण (निर्माण और विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025 जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन), संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.438(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 21 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 482(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) पर्यावरण (संरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 22 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 487(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 11 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 465(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 3 जुलाई 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 446(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 26 जुलाई 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 194(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI SUKANTA MAJUMDAR): Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Silchar, Cachar, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Silchar, Cachar, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the year 2023-2024.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Palakkad, Palakkad, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Palakkad, Palakkad, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Indian Institute of Information Technology Palakkad, Palakkad, for the year 2023-2024.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Kozhikode, Kozhikode, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Kozhikode, Kozhikode, for the year 2023-2024.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Jammu, Jammu, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Jammu, Jammu, for the year 2023-2024.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Classical Tamil, Chennai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Classical Tamil, Chennai, for the year 2023-2024.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Book Trust, India, New Delhi for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Book Trust, India, New Delhi for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Book Trust, India, New Delhi for the year 2023-2024.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Bhopal, Bhopal for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology Bhopal, Bhopal, for the year 2023-2024.

(16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

… (*Interruptions*)

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(1) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला संबंधी वृत्तिक) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी123 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी124 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 19 मई, 2025

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी125 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी126 में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 26 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी127 में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 4 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी128 में प्रकाशित हुए थे।

STANDING COMMITTEE ON ENERGY

6th to 9th Reports

SHRI DEVUSINH CHAUHAN (KHEDA): Sir, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Energy:-

(1) Sixth Report on 'Action-taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the First Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2024-25) of the Ministry of Power'.

(2) Seventh Report on 'Action-taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the Second Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2024-25) of the Ministry of New and Renewable Energy'.

(3) Eighth Report on 'Action-taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the Fourth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2025-26) of the Ministry of Power'.

(4) Ninth Report on 'Action-taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the Fifth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2025-26) of the Ministry of New and Renewable Energy'.

… (*Interruptions*)

STANDING COMMITTEE ON FINANCE
19th to 24th Reports

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance:-

(1) Nineteenth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Eighth Report of the Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants (2025-26)' of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Public Enterprises and Investment and Public Asset Management).

(2) Twentieth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Ninth Report of the Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants (2025-26)' of the Ministry of Finance (Department of Revenue).

(3) Twenty-first Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Tenth Report of the Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants (2025-26)' of the Ministry of Corporate Affairs.

(4) Twenty-second Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Eleventh Report of the Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants (2025-26)' of Ministry of Planning.

(5) Twenty-third Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twelfth Report of the Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants (2025-26)' of Ministry of Statistics and Programme Implementation.

(6) Twenty-fourth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Thirteenth Report of the Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants (2025-26)' of Ministry of Finance (Department of Financial Services).

… (*Interruptions*)

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL
8th Report

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I rise to present the Eighth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel on the subject 'Steel Scrap Recycling Policy' relating to the Ministry of Steel.

… (*Interruptions*)

(1405/RV/VPN)

भारत की आकस्मिक निधि से आहरण के बारे में वक्तव्य - सभा पटल पर रखा गया

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) : माननीय सभापति महोदय, मैं 'नई सेवा'/' सेवा का नया साधन' - शहरी गरीबी उन्मूलन संबंधी पायलट मिशन - दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी) के आकस्मिक मामले में व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से किए गए आहरण के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।… (व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले - सभा पटल पर रखे गए

1406 बजे

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : माननीय सदस्यगण, नियम 377 आपका विषय है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को आज सभा पटल पर रखने के लिए, माननीय अध्यक्ष द्वारा जिन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है, उन मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर प्रस्तुत करें।

… (व्यवधान)

Re: Need to conserve and connect Buddhist sites of archaeological importance in Chauparan block of Hazaribagh district, Jharkhand

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के मानगढ़, दैहर, सोहरा, हथिदर में पुरातात्विक महत्व की कई मूर्तियां, बौद्ध स्तूप तथा अन्य साक्ष्य खुदाई में सामने आये हैं। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय ख्याति के इतिहासकार, वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है। शोध में मानगढ़ में बरामद एनबीपीडब्लू (मृदभांड) का काल ई.पू. 200 से ई.पू. 700 तक जाने का दावा किया गया है। इन इलाकों में हिंदू तथा बौद्ध धर्म की पांचवी तथा छठी सदी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहां से प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण अवशेष बौद्ध धर्म के परिपक्व होने के बाद का है। महोदय, अतः मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि सरकार इस ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल को बौद्ध सर्किट से जोड़ने, यहां से प्राप्त पुरावशेष को खंडित होने से बचाने और पुरातात्विक विभाग के गोदाम में रखे जाने के बजाय इसे यहीं संरक्षित करने हेतु विशेष म्यूजियम का निर्माण करने और राष्ट्र के अन्य धरोहरों की भांति इस पुरातात्विक स्थल को भी राष्ट्रीय धरोहर मानकर इसका संरक्षण पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन किए जाने की कृपा करें ताकि यह पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो सके और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर के साथ-साथ सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति हो। (इति)

Re: Need to establish a CGHS Wellness Centre or Hospital in Bulandshahr district, Uttar Pradesh

डॉ. भोला सिंह (बुलन्दशहर) : मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत एक औषधालय या अस्पताल की तत्काल स्थापना की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जनपद बुलंदशहर में केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, बैंकों, डाकघरों, रेलवे प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं उनके आश्रित निवास करते हैं। इन्हें सीजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएँ मिलनी चाहिए, किंतु वर्तमान में जनपद में पूर्णकालिक CGHS वेलनेस सेंटर या अस्पताल कार्यरत नहीं है। इस कारण लाभार्थियों को चिकित्सा परामर्श, दवाओं की प्राप्ति एवं विशेष उपचार हेतु मेरठ, गाजियाबाद या दिल्ली जैसे दूरस्थ शहरों की यात्रा करनी पड़ती है, जिससे उन्हें अत्यधिक मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित पेंशनभोगियों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से कष्टप्रद और कई बार जानलेवा सिद्ध हो सकती है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह जनपद बुलंदशहर में सीजीएचएस औषधालय/अस्पताल की स्थापना हेतु आवश्यक कदम तत्काल उठाए और यह भी स्पष्ट करे कि उक्त सुविधा को उपलब्ध कराने की क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है। (इति)

Re: Need to collaborate with premier Agricultural and Scientific institutions for empowerment of farmers with region specific agricultural knowledge

SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI (RAJAHMUNDRY): The vulnerability in the Agriculture sector is immense, as 80% of our farmers are marginal, with less than one hectare of land, and 60% of our cultivation is rainfed, leaving them with poor coping capacities. The challenges are multi-faceted, including erratic rainfall affecting water availability, increased frequency of floods and droughts, and severe heat stress on crops, livestock, and fisheries. The projections are alarming: a significant temperature increase could result in a devastating drop of up to 40% in rice yields and over 50% in wheat yields. While the Union Government supports the agrarian sector through various interventions and missions, the focus has largely remained on developing climate-resilient technologies. However, the need of the hour is to directly empower the farmer with localized, actionable knowledge. Therefore, I urge the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to urgently collaborate with premier scientific bodies like ICAR, ICRISAT, and the Department of Science and Technology. They must work on a mission mode to divide the country into dynamic micro-agricultural zones based on changing climatic patterns. Based on this scientific zoning, a robust advisory system should be created to guide our farmers on re-orienting their land use, changing cultivation patterns, and adopting suitable crops to effectively secure their livelihoods and our nation's food security.

(ends)

Re: Repair and maintenance of roads in Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : मेरे संसदीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली, अपनी औद्योगिक गतिविधियों और पर्यटन क्षमता के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से सड़कों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जिससे स्थानीय जनता को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश सड़कें खराब रखरखाव और मरम्मत के अभाव के कारण जर्जर हो गई हैं। जिससे नागरिकों, स्कूली बच्चों को अपने कार्यालय, स्कूल और अन्य आवश्यक स्थानों तक पहुँचने में अतिरिक्त समय लगता है। खराब सड़के और सड़को पर पड़े गड्ढे, उबड़-खाबड़ सतहें और जल-जमाव के कारण मानवीय दुर्घटनाओं की समस्या बढ़ गई है। धूल भरी और टूटी हुई सड़कों से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियाँ होने का खतरा भी बढ़ रहा है। लेकिन उन सड़को की ना मरम्मत की जा रही है और ना रखरखाव किया जा रहा है जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता त्रस्त हो गई है। इसलिए मै सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत, रखरखाव और सुधार के लिए तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करे जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र की सड़कों की स्थिति में शीघ्र सुधार हो सके।

(इति)

Re: Need for conservation and development of tourist destinations in Khandwa Parliamentary Constituency

श्री ज्ञानेश्वर पाटील (खण्डवा) : मैं सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर दिलाना चाहता हूँ। मध्यप्रदेश, जिसे "भारत का हृदय" कहा जाता है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों, वन्यजीव अभयारण्यों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा के अंतर्गत यहाँ असीरगढ़ का किला, कुण्डी भंडारा, राजा जयसिंह की छतरी, जैन मंदिर बहादर पुर, राम झरोखा मंदिर, कबीर मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, जयंती माता मंदिर, पेशवा बाजीराव (प्रथम) का स्मारक, हनुमंतिया टापू और ओंकारेश्वर जैसे धार्मिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। इन अमूल्य धरोहरों का दीर्घकालिक संरक्षण और प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इन पर्यटन स्थलों का रखरखाव केवल सौंदर्यीकरण का विषय नहीं है, बल्कि यह राज्य के आर्थिक भविष्य और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। मैं पर्यटन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यटन स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए कोई विशिष्ट परियोजना चलाई जाए तथा उस हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित की जाए या केंद्र सरकार की विभिन्न पर्यटन विकास योजनाओं, जैसे 'स्वदेश दर्शन' और 'प्रसाद' योजना में उक्त पर्यटन स्थलों को सम्मिलित किया जाए जिससे यह राज्य देश के अग्रणी पर्यटन स्थलों में शुमार हो सके।

(इति)

Re: Need to provide benefit of Old Pension Scheme to personnel of Paramilitary forces

श्री धर्मबीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : अर्धसैनिक बलों को आज भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) से वंचित रखा गया है, जबकि उन्होंने लोकतंत्र और संसद की रक्षा में अपने प्राण तक न्यौछावर किए हैं। सेना की भांति इन्हें भी OPS का लाभ मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त छुट्टियों में भी असमानता है—CISF को केवल 30 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि अन्य बलों को 60 से 100 दिन। यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए। संबंधित निम्नलिखित अन्य मांगें भी विचारणीय हैं: -

1 पैरा मिलिट्री वेलफेयर बोर्ड का गठन हर राज्य में किया जाए।
2 शहीद अर्धसैनिक जवानों के बच्चों को नौकरी व शिक्षा में आरक्षण दिया जाए।
3 GST से अर्धसैनिक बलों की कैंटीन को छूट दी जाए।
4 हर जिले में सैनिक कल्याण बोर्ड में पैरामिलिट्री का प्रतिनिधित्व हो।

(इति)

Re: Need to promote Global Capability Centres along with high-value technological services in order to meet IT Sector Excellence in the Country

SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL (SURAT): India's IT industry earned over $282.6 billion in 2024–25, with $224.4 billion from exports and $58.2 billion domestic. Yet, most freshers still earn just Rs. 3–4 lakh annually, insufficient to cover rent, food, and transport—highlighting the growing gap between top executives and entry-level employees. CEOs take home multi-crore packages while fresher salaries have seen only a 15% rise in a decade. India's GDP has doubled from $2.1 trillion to $4.2 trillion, and IT exports from $82 billion to $210 billion in the last ten years, but nothing has changed for Tier-II college graduates. The stagnation stems from a surplus of engineering graduates, reduced billing rates of IT firms (from $40/hour a decade ago to $20–25 now), and rising training costs. Automation, global competition, and rupee depreciation (from Rs. 62–63 to 83.85 per dollar) have further worsened the situation. To cut costs, companies are hiring from Tier-II colleges and cities. The growing use of AI may lower the billing further, threatening fresher incomes. India produces 15 lakh engineering graduates yearly, but only 10–15% get campus placements. To address this, the Government must bridge skill gaps, promote high-value tech services, and support Global Capability Centers (GCCs), which offer better opportunities to freshers. (ends)

Re: Need to improve mobile telecommunication services in Khargon and Barwani districts of Madhya Pradesh

श्री गजेन्द्र सिंह पटेल (खरगौन) : मैं माननीय दूरसंचार मंत्री जी का ध्यान मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी जिलों में दूरसंचार सेवाओं की गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इन दोनों आदिवासी बहुल जिलों में कई दूरसंचार टावर लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल इंडिया के इस युग में भी, खरगोन और बड़वानी के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोग मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं तक पहुंच में यह एक बड़ी बाधा बन गया है। किसानों को मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है, वहीं छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ने में समस्या आ रही है। आपातकालीन स्थितियों में भी संचार स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और अविलंब इन बंद पड़े दूरसंचार टावरों को पुनः चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। साथ ही, भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए एक स्थायी समाधान भी सुनिश्चित किया जाए।

(इति)

Re: Need for development of Namo Bharat Rapid Rail System connecting Siliguri in West Bengal with nearby places

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): On behalf of the people from Darjeeling hills, Terai and Dooars, I want to thank you for the various railway projects in our region, including the recently announced Rs 129 crore Siliguri Diesel Locoshed Expansion. I also take this opportunity to request for the development of the Namo Bharat Rapid Rail system connecting Siliguri to surrounding areas. Siliguri serves as a critical transit hub and tourist stopover for destinations like Darjeeling, Sikkim, and Dooars and is also a major commerce and trade centre linking Bihar, Sikkim, Assam, and shares international borders with Bhutan, Nepal, and Bangladesh. The development of modern rail facility will boost the development of Darjeeling hills, Terai and Dooars region and benefit over 3 crore residents of entire North Bengal region, and will improve connectivity by offering a fast, safe, and eco-friendly alternative to road travel. The proposes rail system will cover Siliguri to Malda - via Bagdogra, Naxalbari, Khoribari, Adhikari, Batasi, Bidhannagar, Chopra, Islampur, Raiganj, and Malda; Siliguri to Hashimara/Kalchini - via, Sevoke, Bagrakote, Oodlabari, Mal Bazar, Chalsa, Nagrakata, Banarhat, Birpara, and Hashimara/Kalchini; and in the future, connecting Siliguri to Rangpo, once the Sevoke-Rangpo Rail Line is operational.

(ends)

Re: Need to run new trains from Gorakhpur to Delhi and Mumbai via Anandnagar-Siddharthnagar-Barhni-Gonda in Uttar Pradesh

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मैं सरकार का ध्यान गोरखपुर–आनंद नगर–सिद्धार्थनगर–बढ़नी–बलरामपुर–गोंडा रेल मार्ग पर यात्री सुविधाओं की अत्यंत कमी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह मार्ग गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा और बहराइच जैसे जिलों के करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखा के समान है, किंतु इसके बावजूद यहाँ से प्रमुख महानगरों के लिए समुचित ट्रेन सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। जनता की यह प्रबल माँग है कि वंदे भारत, अमृत भारत और अन्य तेज़गति ट्रेन सेवाओं की शुरुआत गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए इस मार्ग से की जाए। वर्तमान में यात्रियों को लंबा और असुविधाजनक मार्ग अपनाना पड़ता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापारिक अवसरों में भारी बाधा उत्पन्न होती है। मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि वह इस मार्ग की यात्री आवश्यकताओं का शीघ्र आकलन करे और इस क्षेत्र की सेवा हेतु नई ट्रेनों की स्वीकृति दे, जिससे इस पिछड़े लेकिन महत्वाकांक्षी पूर्वांचल क्षेत्र का समुचित विकास संभव हो सके। (इति)

Re: Need to renovate Malda airport in West Bengal for defence purposes

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : मैं, आपके समक्ष अपने क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ी एक अति महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रस्तुत कर रहा हूँ। मालदा जिला भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित है, जो लगभग 165.5 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से अन्यंत संवेदनशील है। मालदा में 1962 में 144 एकड़ भूमि पर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था, परंतु रनवे की लंबाई केवल 1,097 मीटर होने के कारण इसका संचालन नहीं हो सका। वर्तमान में निकटतम कार्यरत सक्रिय हवाई अड्डे बागडोगरा (241 किलोमीटर) और कोलकाता (323 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे की मुकाबला करने के लिए मालदा एयरपोर्ट का पुनरुद्धार और उसे रक्षा उपयोग के लिए विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। तो अनुरोध है कि क्षेत्र में नई भूमि खोजी जाए। यह प्रयास न केवल सीमावर्ती सुरक्षा बलों की त्वरित पहुँच सुनिश्चित करेगा बल्कि क्षेत्र में रणनीतिक लाभ भी प्रदान करेगा। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मालदा एयरपोर्ट को रक्षा उपयोग के लिए पुनरुद्धारित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर नई भूमि की खोज करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

(इति)

Re: Need for an effective policy to curb increasing incidents of drug abuse among youth in the country

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : भारत विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है, लेकिन आज हमारा देश नशे की बढ़ती लत की समस्या से जूझ रहा है। देश में 35 वर्ष से कम उम्र के लगभग 65 प्रतिशत युवा है और ऐसे में युवाओं के बीच नशे का बढ़ता चलन देश के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। देश में नशा व्यापार का केंद्र भी बनता जा रहा है और ये कारोबार लगभग 15 लाख करोड़ रु. प्रतिवर्ष से अधिक का है और देश की 14.6 प्रतिशत आबादी नशे की गिरफ्त में है । देश में 10 से 17 वर्ष के 1.48 करोड़ बच्चे शराब, कोकेन, अफ्रीम, गांजा आदि का सेवन कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड जैसे राज्य नशीले पदार्थों के तस्करों के लिए प्रमुख लक्ष्य बन गए हैं। NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में 10560 लोगों ने नशे की लत से परेशान होकर आत्महत्या की थी, वहीं वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 11500 से अधिक था। गोल्डन क्रिसेंट (ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान) और गोल्डन ट्रायंगल (थाईलैंड-लाओस-म्याँमार) भारत के लिए अवैध ड्रग तस्करी के केंद्र हैं। सरकार से अनुरोध है कि देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक सशक्त नीति लागू की जाए।

(इति)

Re: Need to introduce a dedicated Rural Assistive Technology Scheme for Divyangjan through Community Health Centres, PHC dispensary and AMRIT Pharmacies

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I wish to draw the attention of the House to the urgent need for expanding access to assistive technology (AT) for persons who are differently-abled in rural India. As per the Census 2011, over 26.8 million Indians are differently abled, and 69% of them live in rural areas. Yet access to essential assistive aids remains low. A WHO-UNICEF report (2022) estimates that AT access in countries like India is as low as 3% of actual need. Another study found that rural residents, especially women and the elderly, face significantly higher unmet needs due to affordability and lack of local access. While the ADIP scheme has made progress, its impact remains largely urban-centric. Most rural divyangjans continue to buy devices out-of-pocket or go without it. I appreciate NITI Aayog's efforts to formulate a dedicated policy for boosting domestic manufacturing of ATs. However, there is an urgent need to expand last-mile access to Assistive Aids like prosthetics and smart mobility devices. I therefore urge the Ministry of Social Justice and Empowerment to introduce a dedicated Rural Assistive Technology Outreach Scheme, leveraging Community Health Centres, PHC dispensary, and AMRIT Pharmacies. This would ensure that every divyangjan has access to affordable, quality assistive devices.

(ends)

Re: Need for upgradation and modernization of Kanjikode railway station in Palakkad, Kerala

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): The upgradation or expansion of Kanjikode railway station in Palakkad into a higher-ranking railway station with all modern amenities and infrastructure is the need of the hour, since Kanjikode is central point of industrial activities in Palakkad district which is the second largest industrial district in Kerala. Apart from that, Palakkad is a part of centrally sponsored Kochi-Bengaluru Industrial Corridor and a Hi Tech Industrial Smart City is also going to come up there . The proposed Kochi-Bengaluru Industrial Corridor and a Hi Tech Industrial Smart City and the work on which is progressing, is expected to create a township at Kanjikode to meet all kinds of needs. Many multinational companies and Indian corporate companies and firms will put up their business establishments in Kanjikode and this will provide employment for over a lakh of people directly or indirectly. This Industrial Corridor will change the demography of Kanjikode in a big way. Redevelopment of Kanjikode railway station is also supportive steps to accelerate the pace of development towards the proposed Industrial Corridor. All these going to increase the need for a bigger railway station with facilities, including for cargo movement. Therefore, I urge that Kanjikode railway station be upgraded urgently. (ends)

Re: Need to establish a robust monitoring system to prevent children from harmful effects of online social media contents

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा) : मैं आपका ध्यान एक गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ — "अश्लील रील्स और वीडियो का बच्चों पर मानसिक व सामाजिक दुष्प्रभाव पद रहा है। आज इंटरनेट और मोबाइल की पहुँच ने जहां ज्ञान को आसान बनाया है, वहीं बिना किसी रोकटोक के अश्लील सामग्री बच्चों तक भी सरलता से पहुँच रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विशेष रूप से यूट्यूब और इंस्टाग्राम, पर उपलब्ध अश्लील रील्स बच्चों के मानसिक विकास को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। इस उम्र में बच्चे जो देखते हैं, वही उनके विचारों और व्यवहार को आकार देता है। अश्लील कंटेंट उन्हें विकृत सोच की ओर ले जाता है, जिससे उनके रिश्तों, आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार में असंतुलन पैदा होता है। इससे शिक्षा में ध्यान भटकता है, और कई बार यह यौन हिंसा या शोषण जैसे गंभीर खतरों को जन्म देता है। इस दिशा में सरकार को सख्त निगरानी तंत्र बनाना चाहिए, अभिभावकों व शिक्षकों को जागरूक किया जाना चाहिए और तकनीकी उपाय जैसे पैरेंटल कंट्रोल व कंटेंट फिल्टर अनिवार्य किए जाने चाहिए। बच्चों को एक सुरक्षित और स्वस्थ डिजिटल भविष्य देना हम सभी की जिम्मेदारी है।

(इति)

Re: Need to include Sasthamkotta Lake in Kollam district, Kerala under the National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems and other rejuvenation schemes of Government

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sasthamkotta Lake, located in Kollam district, is the largest freshwater lake in Kerala and a major drinking water source for over 10 lakh people in the region. Despite its ecological and livelihood importance, the lake has witnessed alarming degradation due to unchecked pollution, encroachments, siltation, and lack of proper conservation efforts. I urge the Hon'ble Minister of Jal Shakti to take immediate steps to include Sasthamkotta Lake under the National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems (NPCA) and other central rejuvenation schemes. A time-bound action plan involving both State and Central agencies is essential for restoring the lake's biodiversity, protecting drinking water security, and ensuring the environmental sustainability of the region. The Government must prioritize the revival of Sasthamkotta Lake on an urgent basis.

(ends)

Re: Need to expedite construction of railway line on Saramthura-Gangapur via Karauli route under second phase of Dholpur-Saramthura railway line project in Rajasthan

श्री भजन लाल जाटव (करौली-धौलपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर में संचालित रेलवे परियोजना धौलपुर -सरमथुरा रेलवे परियोजना के द्वितीय चरण (सरमथुरा से गंगापुर बाया करौली) की घोषणा वर्ष 2022-23 में की गई थी, जिससे करौली-धौलपुर क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलने की आशा जगी थी। किंतु खेद की बात है कि इस परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो पाया है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अभी तक पूर्ण नहीं की गई है और भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा वित्तीय स्वीकृति जैसे आवश्यक प्रक्रियाओं में भी अत्यधिक विलंब हो रहा है। मैं स्वयं इस परियोजना की प्रगति पर निकट निगरानी रख रहा हूँ। करौली पूरे राजस्थान में एक मात्र ऐसा जिला है जहाँ आज़ादी के इतने साल बाद भी अभी तक रेल सुविधा नहीं है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस परियोजनाओं के लिए यथाशीघ्र डीपीआर तैयार कर, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाया जाए। जिससे क्षेत्र के लोगों को शीघ्र अति शीघ्र रेल सेवा का लाभ मिल सके।

(इति)

Re: Need to fix the daily prices of Gold and Silver in transparent manner

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): The current spike in the retail gold prices is a cause of concern for common people. The gold prices have nearly doubled in the past three years. It has increased by about 300% since the BJP government came to power in 2014. It has risen from Rs 28,006 per 10 grams of 24 carat gold, to Rs 91,000-plus now. Silver too has seen a similar spike, and is selling at Rs. 126 per gram. It is grossly unnatural and not genuine. Though Indian Bullion & Jewellers Association (IBJA) claims to be fixing the daily prices of gold based on global gold prices, taxes and currency value fluctuation globally, the process is opaque. I request the Government to take over the fixing the daily prices of gold and silver in a transparent manner. The Ministry of Finance should delink the prices of physical gold from virtual paper-gold to separate physical gold from paper gold or buy virtual gold as hedge fund. Delink the prices of physical gold from these virtual and paper gold so that the common man and middle class families actually buying gold for family functions will be insulated from those who invest on paper gold or buy virtual gold as hedge fund.

(ends)

Re: Non-availability of fertilizers to farmers in Banda Parliamentary Constituency

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (बांदा) : मेरा संसदीय क्षेत्र बांदा (उत्तर प्रदेश) पूर्णतया कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है। जहां आज भी 80 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। बढ़ते रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जहां मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है वंही पर्यावरण पर भी इसका प्रतिकूल असर हो रहा है। मै जानना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड की खेती में उर्वरकों पर निर्भरता कम करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है?

प्राय: मैने अपने क्षेत्र भ्रमण मे पाया है कि किसानों को समय से आवश्यक उर्वरक सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध नही हो पाता है और कई बार इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। इस विषय पर क्या विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु सरकार का कोई प्रयास है? यदि हां तो विवरण उपलब्ध करायें।

रासायनिक उर्वरकों के विषय में आज बाजार में अनेकों उत्पादक कंपनियां ऐसी हैं जो व्यवसाय में अत्यधिक लाभ के चलते गुणवत्ता मानकों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं एवं किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाती जा रही है। इस दिशा में सरकार कोई ठोस कदम उठाने की कृपा करें जिससे किसानों को लाभ एवं फसल में गुणवत्ता मिल सके।

(इति)

Re: Need to comply with the order of Supreme Court to constitute the Haj Committee as per Haj Act, 2002

SHRI MOHIBBULLAH (RAMPUR): The formation of the Haj Committee of India is crucial for the welfare of minority community as mandated under the Haj Act 2002. However, despite the Supreme Court's directive on March 27, 2023, to constitute the committee within three months, the Ministry is yet to comply. The Ministry's April 2022 attempt to form an 8-member committee is against the Act's provisions, which require a 23-member committee with 19 elected members. The Supreme Court's subsequent order on April 29, 2024, directing the committee's formation by August 31, 2024, has also been disregarded. I urge the government to immediately constitute the Haj Committee as per the Haj Act 2002 and comply with the Supreme Court's orders to ensure smooth arrangements and facilities for Haj pilgrims.

(ends)

Re: Need to establish a Health and Wellness Centre in Durgapur, West Bengal

SHRI KIRTI AZAD (BARDHAMAN-DURGAPUR): I rise to urgently highlight the need for a dedicated Health and Wellness Center (HWC) in Durgapur, West Bengal. As the third-largest urban agglomeration in the state, with a population of over 740,000 in 2025, Durgapur is Eastern India's most industrialized city and a major economic hub. Given Durgapur's convenient connectivity to surrounding areas, setting up the HWC there will enable it to serve a broader population, including regions such as Bolpur, Bankura, Bardhaman East, and Bardhaman West. It also hosts large industries such as the Durgapur Steel Plant, Chittaranjan Locomotive Works, major thermal power plants, and numerous public sector undertakings, employing a vast workforce. Despite its vital role in India's industrial output and employment generation, Durgapur lacks a comprehensive HWC. Existing healthcare infrastructure, including hospitals and clinics, is fragmented and often limited to basic care. With over 430 industrial units now operating in the region—up from just 46 in 1951—this omission is a significant oversight given Durgapur's rapid growth and rising population. Central government employees, public sector staff, and industrial workers in Durgapur deserve integrated, modern healthcare services that ensure their well-being. Therefore, I strongly urge the government to take prompt action to establish a HWC in Durgapur. (ends)

Re: Need to set up a full-fledged Aadhaar Facilitation Centre in Jhargram Parliamentary Constituency

SHRI KALIPADA SAREN KHERWAL (JHARGRAM): I would raise to highlight an important issue affecting a portion of the population in my Parliamentary Constituency, Jhargram. Despite the widespread importance of Aadhaar as an individual identity document for accessing various government schemes, banking services, and welfare benefits, many residents of my constituency continue to face persistent challenges related to Aadhaar enrolment and updates. Currently, there is no dedicated Aadhaar Facilitation Centre in or around Jhargram. Residents are forced to travel long distances, often to Ranchi or other regional centres, for enrolment or biometric corrections. This travel is costly and difficult, particularly for economically weaker sections, the elderly, and persons with disabilities. Errors in biometric or demographic data often remain unresolved for months, resulting in exclusion from essential services like NFSA ration distribution, pensions, and direct benefit transfers. Jhargram, being the district headquarters and centrally located within the Jangalmahal region, is strategically positioned to serve as a hub for Aadhaar services. Establishing a permanent facilitation centre here would ensure timely, accessible, and inclusive service delivery. Therefore, I urge the Hon'ble Minister of Electronics and Information Technology through you Sir, to consider setting up a full-fledged Aadhaar Facilitation Centre in Jhargram, equipped for enrolments, biometric updates, and grievance redressal. (ends)

Re: Need to take necessary action for promoting export of Kancheepuram sarees

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): Kancheepuram, in Tamil Nadu, is world-renowned for its exquisite handwoven silk sarees. This heritage art form not only showcases India's textile legacy but also provides livelihood to thousands of skilled weavers and artisans. However, despite the global appeal and high quality of Kancheepuram sarees, their export potential remains underutilized due to several challenges such as lack of direct market access, inadequate branding, limited participation in international trade fairs, absence of e-commerce export infrastructure and Low Awareness About GI Protection Internationally. To address these issues and promote Kancheepuram sarees globally, I urge Government to take following steps: Establish a dedicated Silk Export Promotion Hub in Kancheepuram with warehousing, testing, and branding support. Include Kancheepuram sarees under One District One Product (ODOP) with special export incentives. Facilitate global marketing through GI-tag based branding and digital platforms. Organize road-shows and participation in international textile expos under the India Handloom Brand. Provide financial assistance to weavers' cooperatives and entrepreneurs for capacity building and compliance with export standards. Therefore, I request the Hon'ble Minister of Commerce & Industry and Textiles to consider this matter with due seriousness and take necessary action for promoting export of Kancheepuram sarees. (ends)

Re: Need to consider Konaseema district in Andhra Pradesh as a regular centre for entrance and recruitment examinations

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): The Konaseema district of Andhra Pradesh is home to a large and aspirational youth population, many of whom are actively preparing for competitive examinations. These include recruitment exams conducted by central agencies such as the UPSC, SSC, IBPS, and RRB, as well as entrance exams like JEE and NEET conducted by the NTA. Despite this, the district currently lacks designated centres for these central-level examinations. As a result, candidates must travel to cities such as Rajahmundry, Kakinada, or Vijayawada, imposing significant financial and logistical challenges—especially for students from rural or economically disadvantaged backgrounds. This lack of local examination facilities undermines equitable access and can lead to hardship, absenteeism, and missed opportunities, even for well-prepared aspirants. Notably, Konaseema has substantial infrastructure, including government and private educational institutions, digitally enabled schools, and administrative support, which could be effectively utilized to conduct these examinations securely and efficiently. Therefore, I urge the Government and relevant examination authorities to consider designating Konaseema district as a regular centre for major

central recruitment and entrance examinations, to promote equitable access and ease the burden on local aspirants. (ends)

Re: Need to establish a Post Graduate Institute of Medical Sciences in Saharsa or Madhepura in Bihar

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा) : बिहार राज्य अन्तर्गत उत्तरी-पूर्वी बिहार क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र में आता है। यहां गरीबों के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की दरकार हमेशा बनी रहती है। राजधानी पटना से दूर तमाम कोशी क्षेत्र अभी भी वैसे हैं, जहाँ गरीब और वंचितों के लिए बेहतर स्वास्थ्य-व्यवस्था का अभाव है, जबकि एम्स पटना की मौजूदा व्यवस्था एवं दरभंगा में स्वीकृत एम्स की दूरी लोगों को दिल्ली जाने के लिए विवश करती है। हालांकि एनडीए सरकार में नये-नये मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, परन्तु मेडिकल पीजी और स्पेशलाइजेशन शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं इस क्षेत्र से कोसों दूर है। सहरसा या मधेपुरा में उपर्युक्त परिस्थितियों और उनकी जरूरतों को देखते हुए एक पीजीआई अस्पताल खोलने की आवश्यकता है, ताकि मरीजों को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा की सुविधा के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को मेडिकल स्नातकोत्तर चिकित्सा और स्पेशलिस्ट शिक्षा के लिए अवसर मिल सकें। मैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि बिहार राज्य के कोशी क्षेत्र अन्तर्गत सहरसा या मधेपुरा में एक PGIMS (पोस्टग्रेजूएट इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज) अस्पताल खोलने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई कर स्वीकृति दिलाने की कृपा करें, ताकि मरीजों और छात्र-छात्राओं की परेशानियों को दूर किया जा सकें।

(इति)

Re: Need to take action against the practice of selling other non-required products along with fertilizers to the farmers by the fertilizer dealers/companies

श्री संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी) : किसानों को खाद खरीदने में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसे "खाद लिंकिंग" कहा जाता है। इसमें किसानों को खाद के साथ-साथ अन्य उत्पादों को खरीदना अनिवार्य किया जाता है, जो उन्हें नहीं चाहिए। फिर भी ज़बरदस्ती खरीदना पढ़ता है। यह एक गैरकानूनी प्रथा है जो किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है। इससे किसानों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पढ़ रहा है और खाद के साथ-साथ अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक रूप से बोझ बढ़ रहा है। यह प्रथा किसानों के हितों के विरुद्ध है जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि खाद लिंकिंग की समस्या का समाधान किया जाए और किसानों को खाद खरीदने की स्वतंत्रता दी जाए तथा इस गैरकानूनी प्रथा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

(इति)

Re: Need to link Bhiwandi Road Railway Station with local train network in Maharasthra

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे (भिवंडी) : भिवंडी एशिया मे पावरलूम और लॉजिस्टिक उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है जो देश की अर्थव्यवस्था मे महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। औद्योगिक केंद्र होने के कारण भिवंडी मे आवासीय रियल एस्टेट को काफी बढ़ावा मिला है जिससे आबादी मे काफी बढ़ोतरी हुई है। परंतु भिवंडी रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन सेवाओं की कमी के कारण भिवंडी के नागरिको और यहाँ के उद्योग धंधों से जुडे सामान्य लोगो को आवगमन के लिए ठाणे, कल्याण जैसे समीप के स्टेशनों पर उतर कर सड़क मार्ग से होकर भिवंडी जाना पड़ता है जिस वजह से यातायात खर्च और समय दोनों की बर्बादी होती है। कनेक्टिविटी की यह कमी नागरिकों की दैनिक गतिविधियों को बाधित कर रही है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि भिवंडी रोड़ रेलवे स्टेशन को मौजूदा लोकल ट्रेन नेटवर्क में एकीकृत करने के लिए (विशेष रूप से सीएसटीएम – ठाणे - कलवा - मुंब्रा – दिवा – कोपर - भिवंडी रोड – खरबाव - कामन रोड – जुचंद्रा - वसई रोड लाइन से मार्गों को भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन को लक्षित करते हुए) सर्वेक्षण करके नियमित रूप से ईएमयू (इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) सेवा शुरू करवाने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to establish a sub-centre of AIIMS in Baghpat on the lines of a sub-centre of AIIMS in Jhajjar, Haryana

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : माननीय अध्यक्ष महोदय बागपत जिला ऐसा जिला है, जिसका जनसंख्या घनत्व अधिक और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अत्यंत सीमित है। यहाँ के नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु दिल्ली, चंडीगढ़ स्थित पहले से बोझिल उच्च संस्थानों की ओर रुख करना पड़ता है, जिससे आर्थिक और मानसिक दोनों स्तर पर उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है। ऐसे में एम्स का एक उप-केंद्र बागपत जिले में स्थापित किया जाता है तो यह न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा और उत्तराखंड की सीमावर्ती जनता को भी सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। महोदय हरियाणा के झज्जर जिले में स्थापित एम्स का उप-केंद्र — नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (NCI) — एक सफल उदाहरण है, जो दिल्ली AIIMS का विस्तार है। महोदय जैसे झज्जर (हरियाणा) में एम्स का सब सेंटर स्थित है। वैसे ही बागपत में शुरूआत की जा सकती हैं। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि बागपत जिले की भौगोलिक व अन्य परिस्थितियों को देखते हुए बागपत जिले में एम्स का एक उप-केंद्र शीघ्र स्थापित किया जाए, जिससे बागपत जिले में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके।

(इति)

Re: Need to set up an inquiry into the import of sub-standard seamless pipes and tubes from China

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE (RAIGAD): The industry of seamless pipes and tubes is large and provides crucial supplies to India's energy sectors. The demand for seamless pipes in FY 2024-25 is over 1.3 million metric tonnes (MT) while production capacity is higher, at over 1.95 million metric tonnes (MT). However, the industry faces challenges from China, with imports of seamless pipes from China increasing by nearly six times between FY 2021-22 and FY 2024-25. Despite the imposition of an anti-dumping duty on seamless pipes and tubes from China, there have been allegations of bypassing these restrictions through over-invoicing and mixing imported seamless pipes and tubes with Indian manufactured seamless pipes and tubes to sell to government projects, despite the prohibition of Chinese-manufactured pipes in government-funded sectors. Further, there are also allegations of imports of sub-standard quality seamless pipes and tubes, which make their way to critical sectors like energy. These are serious allegations which merit further investigation, and if found true, would necessitate prompt action. Considering the above, I humbly urge the Minister to look into the matter and open an inquiry into the matter of imports of seamless pipes and tubes from China. This would help realise the PM's vision for Make in India.

(ends)

सीमा-शुल्क अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, प्रस्ताव करता हूं: -

> "कि यह सभा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसरण में, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या 27/2025-सीमाशुल्क दिनांक 30 अप्रैल, 2025 [सा.का.नि.277(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2025] का अनुमोदन करती है, जिसका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि वित्त अधिनियम, 2025 के द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में किए गए परिवर्तनों के साथ विशिष्ट प्रविष्टियों को संरेखित किया जा सके।" … (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसरण में, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या 27/2025-सीमाशुल्क दिनांक 30 अप्रैल, 2025 [सा.का.नि.277(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2025] का अनुमोदन करती है, जिसका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि वित्त अधिनियम, 2025 के द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में किए गए परिवर्तनों के साथ विशिष्ट प्रविष्टियों को संरेखित किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, I have given an opportunity to hon. Minister of Parliamentary Affairs. I will not allow you. … (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सर, आज मैं इस सदन में जो हालत देख रहा हूं, उसे देखकर मैं मन से बहुत दु:खी हूं।… (व्यवधान) सभी पार्टियों ने मिलकर, आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग (अमेंडमेंट) बिल है, इस पर चर्चा करके इसे पारित करने के लिए समय तय किया था।… (व्यवधान) हमने भी ऑपोजीशन की मांग पर इन दो महत्वपूर्ण बिल्स पर दो दिनों की चर्चा के लिए तय किया था।… (व्यवधान) इसे सबने माना था, पर इसके बावजूद भी आज जब देश में खेल और खिलाड़ियों के लिए इतने महत्वपूर्ण बिल को लेकर सरकार आयी है, तो विपक्ष के सारे मेम्बर्स इस तरह से हंगामा करके बिल पर चर्चा होने पर रोक लगा रहे हैं, यह ठीक नहीं है।… (व्यवधान) आपकी यह हरकत हमारे देश के युवाओं के खिलाफ माना जाएगा।… (व्यवधान) आप लोगों ने पहले कहा था कि स्पोर्ट्स बिल इम्पॉर्टेन्ट है, स्पोर्ट्स पर चर्चा करने के लिए सबने एग्री किया था, फिर यह हंगामा क्यों कर रहे हैं? … (व्यवधान)

सर, मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि जो ऑल-पार्टी मीटिंग में हमने तय किया, बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में टाइम एलॉट किया गया, उसको फिर यहां इस सदन में आकर इस तरह से हंगामा करके बर्बाद न करें।… (व्यवधान) स्पोर्ट्स मिनिस्टर बिल पर चर्चा करने के लिए रेडी हैं और आप लोगों की तरफ से ही पहले इस पर बोलना है।… (व्यवधान) मुख्य ऑपोजीशन पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही पहले इस पर बोलना है।… (व्यवधान) आप लोग अपनी बात तो नहीं कह रहे हैं और आप बाकी मेम्बर्स का टाइम भी खराब कर रहे हैं।… (व्यवधान)

सर, मैं इसका खंडन करना चाहता हूं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : ज्योति जी, अमर जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025 और द नेशनल एंटी डोपिंग (अमेंडमेंट) बिल, 2025, इन दोनों महत्वपूर्ण बिल्स पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपने दो दिनों की चर्चा के लिए सहमति दी थी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : जब भारत सरकार 129 सालों में पहली बार वर्ष 2036 के ओलम्पिक के लिए बिड करने जा रही है, तो देश के खिलाड़ियों के लिए, देश में खेल के लिए, इससे महत्वपूर्ण बिल कोई हो नहीं सकता।

… (व्यवधान)

(1410/AK/MY)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Shrimati Satabdi Roy Banerjee, you are a very senior Member.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will request you to kindly ask Shri Kalyan Banerjee to at least take his seat.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आज संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे क्या अपील कर रहे हैं? बर्वे जी, हम चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी चेयर पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: हमारे तमिलनाडु के भी कुछ साथियों ने सुश्री आर. सुधा जी के बारे में बात कही थी। आज सुबह हमारे माननीय सदस्या आर. सुधा जी माननीय अध्यक्ष जी से मिली थीं। अध्यक्ष जी ने तुरंत कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई के लिए आदेश दिया है, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: ज्योति जी, श्यामकुमार दौलत बर्वे जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं।

हैबी ईडन साहब, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी स्पोर्ट्स पर अपील कर रहे हैं। मनसुख मांडविया जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

श्रम और रोजगार मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया): माननीय सभापति महोदय, स्पोर्ट गवर्नेंस बिल वह बहुत महत्वपूर्ण बिल है, जो सालों से लंबित है और इंटरनेशनल ओलंपिक काउन्सिल के साथ अलाइन होना है।… (व्यवधान) यह बहुत आवश्यक होता है। गुड गवर्नेंस के लिए स्पोर्ट बिल का महत्व है। सम्मानीय हाई कोर्ट ने भी बार-बार कहा है कि स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस के लिए एक लॉ बनाना चाहिए। गुड गवर्नेंस से देश के स्पोर्ट्स फेडरेशन में एक अच्छी इको-सिस्टम क्रिएट हो सकती है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल को चर्चा में लें और इसको पारित करें।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय खेल मंत्री जी ने भी अपील किया है। आज कोर्ट का भी आदेश है कि हम ओलंपिक कराने के लिए इस बिल पर चर्चा करें। हमारे भारत के चाहे एंटी डोपिंग हो या स्पोर्ट्स गवर्नेंस का बिल हो, इनको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। क्या आप इस बिल पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं? जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि इस बिल पर चर्चा के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ है। उसके बाद दो दिन का समय दिया गया। माननीय खेल मंत्री जी अपील कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: जब से सदन चल रहा है, लोक सभा चला है, पूरा देश आपको देख रहा है। अभी तक एक बिल भी पारित नहीं हुआ है। आप देश की जनता के लिए, कानून बनाने के लिए चुन कर आए हैं। आप ऐसे ही नहीं आए हैं।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You have been elected to make legislations on the floor of the House, but right from day one आज तक एक बिल भी नहीं पास हुआ है। देश की जनता आपको देख रही हैं। देश की जनता विपक्ष के सांसदों या किसी जन प्रतिनिधि को चुन कर भेजती हैं कि वे देश की पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं। आज सदन में यह तीसरा सप्ताह शुरू हो गया। यह थर्ड वीक है। इस थर्ड वीक में भी कोई बिल पारित नहीं हुआ है। देश की पूरी जनता आप सभी को देख रही हैं। जनता सदन में कानून बनाने के लिए आपको चुन कर भेजती हैं। यहां कानून बनाने के बजाए आप सदन को बाधित कर रहे हैं। आप सदन में शोरगुल कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Kalyan Banerjee, what for have you been elected?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is your responsibility to participate in debates and make legislations.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की अपील नहीं मान रहे हैं। आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात नहीं मान रहे हैं। आप देश के लाखों खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में चर्चा संभव हैं? मैं आपसे फिर अपील करता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 5 अगस्त, 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1414 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 5 अगस्त 2025 / 14 श्रावण, 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।